<u>अतिमहत्वपूर्ण</u>

<u>45/संख्या-13/5/98-का-1-2014</u>

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
लोक सेवा आयोग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

कार्मिक अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक 15 मई, 2014

विषय :- "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956" में संशोधन एवं **"उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील)नियमावली ,1999" में प्रथम संशोधन किया जाना।**

महोदय,

अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या-173-177/1999 मेधा कोतवाल लेले व अन्य बनाम् यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.10.2012 के प्रस्तर-16(i) में यह निर्देश दिये गये हैं कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने वाली शिकायत समितियों की रिपोर्ट को अनुशासनिक कार्यवाहियों के निमित्त केवल प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के रूप में व्यवहरित न किया जाय, बल्कि उक्त रिपोर्ट को अनुशासनिक जांच के निष्कर्ष के समान मानते हुए दोषी सरकारी सेवक के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाय।

2. मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय/निर्देशों के क्रम में "उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली ,1956" में संशोधन तथा "उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999" में प्रथम संशोधन किये जाने की आवश्यकता एवं औचित्य को पाया गया।

3. अत: संदर्भित नियमावलियों के विधीक्षित आलेख्यों की स्वच्छ प्रतियां संलग्न करते हुए मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित संशोधनों के सम्बंध में मा0 आयोग का परामर्श/सहमति शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
ह0/-
(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in